तत्काल/स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. 6/1/2018-सीएस-II(सी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 17 अप्रैल , 2018

सेवा में,

(अनुलग्नक में दिए गए उम्मीदवार)

विषय : आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2016 के आधार पर केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) में आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के पद के लिए अनंतिम के प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2016 के परिणाम के आधार पर, आपका चयन केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) में आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के पद के लिए किया गया है और एतदद्वारा 2400/- ग्रेड वेतन सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में अस्थायी आधार पर उपर्युक्त पद के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है। आप स्वीकार्य दरों पर समय-समय पर लागू ऐसे भत्तों को प्रदान करने को अभिशासित करने वाले नियमों और आदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन सामान्य भत्तों को आहरित करने के भी अधिकारी होंगे।

2. इस पद पर आपकी नियुक्ति केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2010 द्वारा और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों द्वारा अभिशासित होगी। उपर्युक्त पद पर नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगा:-

i. यह नियुक्ति अनंतिम है जो निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों से चरित्र और जीवनवृत्त के सत्यापन और आपकी चिकित्सा स्वस्थता के अध्यधीन है। सत्यापन प्रपत्र में झूठी जानकारी देना अथवा किसी तथ्यपरक जानकारी को छिपाना निरर्हता होगी और उम्मीदवार को सरकार के तहत रोजगार के लिए अयोग्य बना देगी जिसके परिणामस्वरूप सेवा से बर्खास्तगी होगी। यदि उम्मीदवार के चरित्र और जीवनवृत्त को सत्यापित किया गया नहीं पाया जाता है अथवा उम्मीदवार द्वारा स्व-घोषणा में कोई झूठी जानकारी दी जाती है तो अनंतिम नियुक्ति पत्र सीधे ही निरस्त कर दिया जाएगा और परिणामस्वरूप भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुसार उचित समझी जाने वाली और वैसी अन्य आपराधिक/सिविल/कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

ii. आपको कार्यभार ग्रहण करते समय एक वचनबंध देना होगा कि यदि चरित्र और जीवनवृत्त सत्यापन में अथवा चिकित्सा जांच में कुछ भी प्रतिकूल सामने आता है तो उससे आप प्रथमदृष्टया नियुक्ति के लिए अयोग्य हो जाएंगे, आपको आगे बिना किसी नोटिस के सीधे ही सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप आप सेवा से बर्खास्त किए जाने के साथ-साथ सरकारी नौकरी

--/--

के लिए भी अयोग्य हो जाएंगे और नियुक्ति प्राधिकारी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) इत्यादि के प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी उचित समझें, अन्य आपराधिक/सिविल/कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे।

iii. आपकी नियुक्ति को, नियुक्त व्यक्ति अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। तथापि सरकार के पास आपको नोटिस की अवधि के लिए वेतन और भत्तों के समकक्ष अथवा उसके समाप्त न हुए अंश की राशि का भुगतान करते हुए नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व अथवा सीधे ही आपकी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

iv. आप दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक के अनुसार बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है परन्तु परिवीक्षा विस्तार की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, केवल इसके सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जब आपके विरुद्ध लंबित किसी विभागीय अथवा कानूनी कार्यवाही के कारण जैसा आवश्यक हो, यह अवधि अधिक हो सकती है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, आपके लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना और ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

v. परिवीक्षा अवधि के दौरान, आपको कोई नोटिस दिए बिना किसी भी समय सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है यदि

(क) आपके कार्यनिष्पादन अथवा आचरण के आधार पर आपको सेवा में और आगे बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त माना जा सकता है

(ख) आप अन्यथा सेवा में बनाए रखे जाने के लिए अपात्र अथवा अनुपयुक्त पाए जाते हैं।

vi. इस नियुक्ति में भारत के किसी भी भाग में कार्य करने का दायित्व सम्मिलित है।

vii. आपको, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम), प्रशासनिक ब्लॉक, जेएनयू परिसर (पुराना), नई दिल्ली-110067 द्वारा आयोजित आशुलिपिक ग्रेड 'घ' (सीधी भर्ती) आधारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना है। उपर्युक्त पाठ्यक्रम अनिवार्य है। ग्रेड में वरिष्ठता, वरिष्ठता निर्धारण के समय लागू नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार होगी। ग्रेड 'घ' (सीधी भर्ती) के आशुलिपिकों को आधारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करने पर पद पर उस समय तक स्थायी नहीं किया जाएगा जब तक वे आईएसटीएम द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लें। इस प्रयोजनार्थ उम्मीदवारों को दो अवसर मुहैया करवाएं जाएंगे। तथापि, आपवादिक मामलों में एक और अवसर भी दिया जा सकता है।

viii. आपको वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 22.12.2003 के सं. 5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित नई पेंशन स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा।

ix. यदि आप केंद्र अथवा राज्य सरकार के तहत नियुक्त नहीं है। आप नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी यात्रा भत्ते के लिए हकदार नहीं होंगे।

3. यदि आप केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों/बैंक/निगम में पहले से सेवारत हैं तो आपकी नियुक्ति वर्तमान नियोक्ता द्वारा सतर्कता अनापत्ति और कार्यमुक्त करने के अधीन होगी।

4. नियुक्ति, निर्धारित प्रपत्र में भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी का शपथ लेने (अथवा इस आशय की विधिवत अभिपुष्टि) करने के अधीन होगी।

5. भारत सरकार के अधीन सेवा में भर्ती के संबंध में लागू आदेशों के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका जीवन साथी जीवित हो या जीवित जीवन साथी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है तो वह भारत सरकार के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि सरकार यदि संतुष्ट हो कि ऐसा करने के विशिष्ट कारण मौजूद हैं तो इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है। इसलिए, नियुक्ति का यह प्रस्ताव उपरोक्त उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने और कार्यभार ग्रहण करते समय इस मंत्रालय को निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन है। तथापि, यदि आप किसी विशेष कारण से इस नियम के प्रचालन से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तत्काल अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति प्रस्ताव खारिज माना जाएगा और यदि आपके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद आपको नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है तो भविष्य में उचित समय पर आपको सूचित किया जाएगा।

6. यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित या दिव्यांग व्यक्ति होने का दावा करते हैं तो आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ध्यातव्य है कि आपकी नियुक्ति अंतरिम होगी और समुचित माध्यम से संगत प्रमाणपत्र के सत्यापन के अध्यधीन होगी। यदि सत्यापन से पता चलता है कि आपका अजा/अजजा/अपिव (क्रीमीलेयर से संबंधित न होने)/दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित होने का दावा झूठा है तो कोई कारण बताए बिना और झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के न्यायनिर्णयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

7. नियुक्ति के बाद अपने धर्म में किसी भी परिवर्तन की जानकारी आप तत्काल संबंधित नियोक्ता/प्रशासनिक प्राधिकारियों को देंगे।

8. अन्य निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर जारी संगत नियमों एवं आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

9. भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के संबंध में लागू संगत नियमों के अनुसार यदि आपके द्वारा दी गई कोई घोषणा या सूचना झूठी पाई जाती है या यह पाया गया कि आपने जानबूझकर तथ्यपरक जानकारी छुपाई है तो आपको सेवा से हटाया जा सकता है और सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है।

10. यदि आपको उपरोक्त निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं तो **अनुरोध है कि आप 23 अप्रैल, 2018 को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), प्रशासनिक ब्लॉक, जेएनयू परिसर (पुराना) नई दिल्ली - 110067 में आशुलिपिक ग्रेड 'घ' (सीधी भर्ती) आधारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रिपोर्ट करें।** भर्ती प्रशिक्षण के प्रशिक्षण समन्वयकर्ता **श्री एच. गोविन्द, उप निदेशक/श्री राजीव कुमार झा, सहायक निदेशक हैं।**

11. यदि आप इस पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो इस विभाग के दिनांक 09.08.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35015/2/93-स्था.(घ) के अनुसार यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाएगा।

12. दिनांक 23.04.2018 को आईएसटीएम में कार्यभार ग्रहण करने के दौरान आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं:-

क) वैवाहिक स्थिति के संबंध में घोषणा।
ख) मूल जाति प्रमाणपत्र; दिव्यांग व्यक्ति का प्रमाणपत्र।
ग) मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र।
घ) जन्म तिथि; आयु में छूट से संबंधित प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।
ड़) उपरोक्त (ii) में दिया गया शपथपत्र।

भवदीय

चिरब्रत सरकार

(चिरब्रत सरकार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स :- 24623157

प्रति :

1. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), प्रशासनिक ब्लॉक, जेएनयू कैम्पस (पुराना), नई दिल्ली-110067 उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच रिपोर्ट सहित डोजियर संलग्न है। अनुरोध किया जाता है कि :

क. उम्मीदवार से नियुक्ति प्रस्ताव के पैरा 2(ii) में दिए गए अनुसार शपथपत्र प्राप्त किया जाए।
ख. आईएसटीएम द्वारा उम्मीदवारों के निम्नलिखित विवरण/दस्तावेजों की भलीभाँति जांच की जाए।

I. जन्म तिथि का प्रमाणपत्र
II. परीक्षा नोटिस में निर्धारित तिथि अनिवार्य अर्हता से संबंधित प्रमाणपत्र
III. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अजा/अजजा/अपिव/पूर्व सैनिक/दिव्यांगता का प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।
IV. आयु में छूट के संबंध में उम्मीदवार का दावा, यदि कोई हो
V. अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की क्रीमीलेयर की स्थिति से संबंधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

चिरब्रत सरकार

(चिरब्रत सरकार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स :- 24623157

टिप्पणी : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि किसी भी जानकारी के लिए नियमित रूप से आईएसटीएम की वेबसाईट देखें।

अनुलग्नक		
क्र. सं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री)	रैंक
1	निशांत कुमार	9
2	शानू सुमन	18
3	शिवानी त्यागी	19
4	चंदन कुमार	22
5	स्निग्ध कौशश	28
6	दिविजा पिल्लई	48
7	अरूण कुमार गंगवार	50
8	शुभम पांडे	61
9	मनीषा दहिया	62
10	मनीषा गुप्ता	64
11	सचिन	66
12	यशिका गोसाई	68
13	दीपक बिष्ट	70
14	गोपाल दुग्गल	72
15	नीरज	75
16	इंदु प्रभा	82
17	मनीषा जैन	84
18	मोहम्मद नईम	85
19	अभिषेक अरोड़ा	87
20	जंग बहादुर	88
21	श्रवण कुमार	89
22	विवेक कुमार यादव	93
23	लोकेश कुमार	96
24	साक्षी कुमारी	97
25	विमल कुमार विश्नोई	106
26	राजकुमार	111
27	किशनोतर	117
28	प्रीति मोरवाल	120
29	जय सिंह यादव	121
30	गीता	141
31	मुकेश कुमार	149
32	विनय कुमार बसवाल	236
33	योगेश कुमार	267
34	सिद्धार्थ गौतम	271
35	ऐश्वर्य कुमार नायक	285
36	शिवांगी	307
37	कंचन रानी	309
38	निधि कुजूर	324
39	गरिमा	350
40	राहुल	370

		अनुलग्नक
क्र. सं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री)	रैंक
41	राजेंद्र सिंह मीणा	638
42	कुसुम शर्मा	892
43	अभिनय कुमार	985
44	सचिन राठी	1025
45	धीरज सिहारा	1032
46	गिरराज मीणा	1033
47	अदिति मीणा	1034
48	आरती मीणा	1037
49	राजेंद्र कुमार मीणा	1039
50	प्रवीण एक्का	1040
51	अजय कुमार मीणा	1043
52	प्रमोद कुमार	1044
53	सुनील द्विवेदी	1045
54	मुकेश कुमार	1047
55	राम प्रकाश मीणा	1049
56	सुप्रिया कुजूर	1050
57	तपन मीणा	1052
58	राहुल कुमार गोंड	1053
59	दालू राम मीणा	1054
60	दीपक टोप्पो	1058
61	चार्लस कुजूर	1060
62	किरन मीणा	1061
63	सुरजीत कुमार शाह	1064
64	शीला बाई मीणा	1065
65	प्रवीण मीणा	1066
66	लोकेश कुमार मीणा	1068
67	रवि मीणा	1073
68	अभिषेक भगत	1074
69	शुभम	1075
70	जेनीस लाल धर्मवी	1076
71	गोरेती मिन्ज	1077
72	राजेश मीणा	1079
73	सौरभ दुबे (2015)	410
74	राहुल कुमार (2015)	169
75	नीरज कुमार (2015)	801
76	नदीम अहमद (2015)	171
77	प्रतिभा सिंह (2015)	341
78	सोनू कुमार झा (2015)	364
79	रवि यादव (2015)	560